न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 11/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. उदयसिंह पुत्र दाताराम जाति अहीर

2. ओमप्रकाश पुत्र दाताराम जाति अहीर

3. शक्तिसिंह पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांट

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र तेजाराम जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----------वादी रेस्पो0

2 डीगराम पुत्र नरसिंह

3 श्रीराम पुत्र सेढूराम

4 जगमाल पुत्र सेढूराम जाति समस्त अहीर निवासीयान ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर

5 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

6 सुमन पुत्र बजरंग

7 धर्मवीर पुत्र बजरंग

8 संतरादेवी पत्नि बजरंग

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

9 हरिश चन्द पुत्र तेजराम जाति समस्त अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 16.12.2016

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री दिनेश यादव

2 वकील रेस्पो0 :- श्री गोविन्दराम यादव

निर्णय दिनांक 21.1.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा दावा संख्या 259/16 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 1.01 हे0, 307 रकबा 0.34 हे0 भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 ला0 03 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 व 06 1/4 हिस्सा का खातेदार है । इसी प्रकार मौके पर काबिज है । वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है । परन्तु प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं तथा वादी के खेतों की डोल को तोडते रहते हैं । शामलात में खेती करना मुश्किल हो रहा है । अतः दावा डिक्री किया जावे ।तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद प्राथमिक तौर पर दावा डिक्री करते हुये बंटवारा स्कीम तैयार करने के आदेश प्रसारित किये हैं, जिसके खिलाफ यह अपील है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि कानूनन तकसीम के वाद में सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना चाहिये । वादी रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा वाद में विवादित आराजी खसरा नम्बर 307 के खातेदार छोटा पुत्र चेतराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा तहत न्यायालय में आपत्ति भी उठाई गई थी, परन्तु गौर नहीं किया । विवादित आराजी का पूर्व से ही बाहमी बंटवारा किया हुआ है । खसरा नम्बर 306 का 1/4 भाग मिन अपीलांट का खरीद शुदा है । हमारे द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया हुआ है । विवादित भूमि में हमने पाईप लाईन दबा रखी है । पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, वह वादी से साजबाज होकर तैयार की गई है तथा मौके अनुसार तैयार नहीं की गई है । यह रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई है, बल्कि कार्यालय में बैठकर ही तैयार की गई है । मौके रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को नहीं बुलाया गया । आराजी खसरा नम्बर 307 तिकुना नहीं है और ना ही खसरा नम्बर 306 से वादी व तरतीबी प्रतिवादी की शामलात की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, बल्कि आराजी मात्र राजस्व रेकार्ड में शामलात दर्ज है । मौके पर आराजी का बाहमी बंटवारा हो रहा है और मौके अनुसार ही आराजी का तकसीम किया जाना आवश्यक है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि प्रस्तुत अपील प्राथमिक डिक्री के खिलाफ है । प्राथमिक डिक्री के खिलाफ इनको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अगर इनको मौका रिपोर्ट से किसी प्रकार की आपत्ति है तो तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें । पूर्व में आराजी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है । खसरा नम्बर 307 तिकुना है, समतल नहीं है । हमने छोटू के खिलाफ रिलीफ नहीं चाही थी, इसलिये उसे पक्षकार नहीं बनाया । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया ! अपीलांट का मुख्य ऐतराज यही है कि पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है और ना ही मौके रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट को बुलाया गया । इस सम्बन्ध में हमने कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया यह रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार न की जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है । जबकि विभाजन के नियमो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

के नियम 18 से 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया हुआ है कि स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में बंटवारा स्कीम तैयार की जावे । इतना ही नहीं, पटवारी हल्का ने प्रतिवादीगण को मौके पर उक्त रिपोर्ट में अनुपस्थित दर्ज किया हुआ है, जबकि प्रतिवादीगण को मौका रिपोर्ट तैयार करने की सूचना दी गई हो, ऐसा साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नहीं है । लिहाजा हम विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 के परिप्रेक्ष्य में पुनः विभाजन स्कीम तैयार कर अंतिम निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहत न्यायालय को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो सभी पक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार से विभाजन स्कीम रिपोर्ट तैयार करावें । तत्पश्चात उस रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर अंतिम डिक्री पारित करें । उभयपक्ष को निर्देश दिये जाते हैं कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 15.2.2019 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned with Cam